

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा

-:: अधिसूचना ::-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत कमांक / / अविअ / भू.अ.प्र.क. 01 / अ / 82 वर्ष 2016.17 बलौदाबाजार, दिनांक .09.2017


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ	किसडा	270	39.699 हे.	बिला जलाशय निर्माण कार्य

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 22-09-2017 को (समय) 11:00 बजे (स्थान) बलौदाबाजार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	बिलानाला जलाशय का निर्माण कार्य
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या.	119
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या.	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ	परियोजना की कुल लागत.	2441.39 लाख
नौ	परियोजना से होने वाला लाभ	योजना से 13 ग्रामों को 1238 हे. खरीफ फसल की सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख रुपये
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.


05/09/17
कलेक्टर
बलौदाबाजार-भाटापारा

पृ.क्रमांक/ /कले./रीडर/2017
प्रतिलिपी :-

बलौदाबाजार, दिनांक .09.2017

1. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय छ.ग.राजनांदगांव (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 में शीघ्र प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कसडोल को सूचनार्थ वे कृपया अधिसूचना का छ.ग.राजपत्र भाग-1 तथा दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर पेपर कतरन एवं राजपत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ को शीघ्र प्रेषित करें.
3. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
4. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. बलौदाबाजार को जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित.
5. सचिव, ग्राम पंचायत किसडा विकास खंड बिलाईगढ़ को सूचनार्थ.


05/09/17
कलेक्टर
बलौदाबाजार-भाटापारा
8